प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.09.2021 जनपद देवरिया।

देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व एक अन्य प्रकरण में 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा जनपद देवरिया में चलाये जा रहे ''ऑपरेशन शिकंजा'' के अन्तर्गत थाना रूद्रपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–30/2000 धारा–302 भादंसं बनाम गुलाब पासी पुत्र रामलाल उर्फ लाला पासी एवं हरिश्चन्द्र पासी पुत्र रामलाल उर्फ लाला पासी निवासीगण–कन्हौली थाना–रूद्रपुर जनपद–देवरिया के विरूद्ध मा0 न्यायालय में प्रचलित वाद में मा0 न्यायालय द्वारा दोनो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20–20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना न अदा किये जाने की स्थिति में छः–छः माह के अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

इसी क्रम में थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–458/2019 धारा–379,411 भादंसं बनाम दिलीप यादव पुत्र विजय यादव निवासी–राघवपट्टी पड़री टोला थाना–झगहा जनपद–गोरखपुर के विरूद्ध मा0 न्यायालय में प्रचलित वाद में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिति में 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।